

मॉड्यूल 7: सामाजिक व्यवहार परिवर्तन—बाल संरक्षण

सत्र 1: प्रभावी संचार के लिए कौशल

अवधि: 5:26 मिनट

कहानी से सीख

आइए हम कहानी से कुछ सीखों को दोबारा स्मरण करते हैं ।

जब नंदिनी के पास उसकी शिक्षिका पहली बार गयी थीं तो वे नंदिनी के मन में छात्रवृत्ति योजना और अपनी पढाई जारी रखने के बारे में 'जागरूकता' और 'इच्छा' पैदा करने में सफल रहीं थीं। लेकिन उसके माता-पिता ने उसे प्रभावित किया और उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। शिक्षिका ने नंदिनी को इस बात का 'ज्ञान/कौशल' भी दिया कि उन्हें फॉर्म कैसे भरना है और वह कहाँ उपलब्ध होगा।

प्रधानाध्यापिका के साथ दूसरी बार नंदिनी के घर जाने पर, वे नंदिनी के माता-पिता को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र भरवाने के प्रयास के माध्यम से 'अपेक्षित' व्यवहार को आजमाने के लिए राजी कर सकीं थीं।

लेकिन इन सब के बाद भी यह तथ्य कि नंदिनी की चचेरी बहन आवेदन जमा करने के एक साल बाद भी छात्रवृत्ति पाने के लिए संघर्ष कर रही थी और उसके पिता का यह विश्वास कि ऐसी योजनाएं कागजों पर ही क्रियान्वित होती हैं, ने नंदिनी के परिवार को उसकी शादी की योजना पर आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया।

नंदिनी की शिक्षिका ने फिर से नंदिनी के परिवार को सरपंच और रानू की माँ से मिलवाकर प्रभावित और प्रेरित किया और उन्हें नंदिनी के छात्रवृत्ति की आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने और उसकी चचेरी बहन की आवेदन प्रक्रिया को दोहराने के लिए मनाने में सफल रहीं।

इस तरह, नंदिनी के माता-पिता ने यह महसूस किया कि शिक्षिका की सलाह मानकर उनकी बेटियों की पढाई पूरी कराना अच्छा है। इसलिए, उन्होंने नंदिनी का विद्यालय जाना जारी रखा और उसे सेना के लिए प्रशिक्षण देने वाले संस्थान में नामांकित किया जिससे की उनके व्यवहार परिवर्तन में 'निरंतरता' होने का पता चलता है।

व्यवहार परिवर्तन प्रक्रिया समझना

आइए हम व्यवहार परिवर्तन प्रक्रिया में शामिल विभिन्न चरणों को समझते हैं।

परिवर्तन प्रक्रिया में पहला चरण जिस परिवर्तन की आवश्यकता है उस परिवर्तन के प्रति जागरूक होना है।

जब एक संदेश कई बार सुनाई देता है, तो व्यक्ति में परिवर्तन का परीक्षण करने की इच्छा विकसित होती है। यह परिवर्तन प्रक्रिया का दूसरा चरण है।

तीसरा चरण व्यवहार परिवर्तन करने के लिए आवश्यक कौशल या ज्ञान प्राप्त करना है।

जब किसी ने ज्ञान और कौशल हासिल कर लिया है, तो चौथा चरण उस व्यवहार को करने की कोषिष करना होगा कोई भी व्यक्ति नए व्यवहार को आजमाने के अनुभव का विप्लेषण करता है और यदि उसके अनुसार

यह अनुभव नकारात्मक है, तो वह व्यक्ति व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया से बाहर हो जाता है। परन्तु यदि यह अनुभव सकारात्मक है, तो आम प्रवृत्ति इसे एक बार फिर से

आजमाने की होती है। यह व्यवहार परिवर्तन चक्र का पांचवा चरण है।

यदि पांचवे चरण का अनुभव अच्छा था, तो व्यक्ति में उस व्यवहार को दोहराने की प्रवृत्ति पैदा होती है। अन्य शब्दों में व्यक्ति उस व्यवहार को 'बनाये रखना' (छटा चरण) चाहता है और जल्द ही यह एक 'निरंतर व्यवहार' (सातवां चरण) या आदत बन जाती है।

व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया इस प्रकार पूरी होती है।

सीखने के लिए एक अनुकूल वातावरण का निर्माण

व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो यह सुनिश्चित करने के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाना आवश्यक है। ऐसा वातावरण बनाते समय याद रखने योग्य कुछ प्रमुख बिंदु हैं:

अधिकांश लोगों को कोई नया कदम उठाने या कोई नया कार्य करने के लिए दूसरों के समर्थन और प्रेरणा की आवश्यकता होती है और विशेष रूप से अपने साथियों की स्वीकृति या समर्थन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है।

किसी नए व्यवहार के लाभ के प्रति आश्वस्त होते हुए भी लोग उसे अपनाने के लिए अनिच्छुक होते हैं क्योंकि उन्हें उससे होने वाले परिणामों से डर लगता है।

किसी मुद्दे के तार्किक पक्ष की अपेक्षा लोगों के लिए उस मुद्दे पर लिए गए अपने निर्णय से जुड़े भावनात्मक पहलुओं से जूझना ज्यादा कठीन होता है।

संवाद की संभावना बनाये रखना और इस दिशा में उठाये गए कदमों को सशक्त करना ही सफलता की कुंजी है।

दृढ़ निष्पत्ति और लोगों को समझने की वास्तविक रुचि के साथ उनकी इस बात में मदद करने की सच्ची इच्छा कि वे स्वयं होने वाले फायदों को देख सकें, वो सिद्धांत है जो

परिवर्तन के लिए संवाद के सभी तरीकों में निहित है।

सहायक वातावरण सृजित करने के लिए लैंगिक न्यायसंगत दृष्टिकोण अपनाना भी महत्वपूर्ण है।

सामाजिक समावेश

- यह महत्वपूर्ण है कि एसबीसीसी की कोई भी पहल सामाजिक समावेश को एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में मान्यता देती है और यह सुनिश्चित करती है कि हम उन लोगों को लक्षित करें जिनके साथ भेदभाव किया जाता है या जो सबसे कमजोर वर्ग के हैं।
- एचआईवी या कुष्ठ रोग से पीड़ित अभिभावकों के बच्चों या ऐसे बच्चे जो स्वयं इनसे पीड़ित हैं, विधवा महिलाएं, दलित और आदिवासी जीवन के हर पहलू में भेदभाव का सामना करते हैं।
- भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार देता है, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, लिंग या सामाजिक परिपेक्ष से संबंधित हों।
- मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा – यूनिवर्सल डिक्लरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स,
- महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर सम्मलेन – कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ आल फॉर्मस् ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन और बाल अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मलेन– कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड,
- मानव अधिकारों की पूर्ति को सुनिश्चित करते हैं।
- भारत सरकार ने पिछले कई वर्षों में मानवाधिकारों को अपनी योजनाओं के केंद्र में रखा है – भोजन का अधिकार, आजीविका का अधिकार, शिक्षा और स्वास्थ्य का अधिकार और सूचना का अधिकार सभी समाज के अंदर समानता और सामाजिक न्याय लाने की दिशा में कदम हैं